न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 75/2014

वादीगण

1. गणेशमल पुत्र भूरचन्द
2. सालगराम पुत्र भूरचन्द के कायम मुकाम
   2/1 रमेश कुमार पुत्र सागराम
   2/2 अशोक कुमार पुत्र सालगराम
   2/3 सतीश कुमार पुत्र सालगराम
   2/4 महेन्द्र कुमार पुत्र सालगराम
3. जेठमल पुत्र भूरचन्द
   जाति खत्री निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जीवण पुत्र नीम्बराज
2. दिनेश पुत्र नीम्बराज
3. नंदकिशोर पुत्र नीम्बराज
4. दुर्गादेवी पत्नी नीम्बराज
5. बागाराम पुत्र कोजमल
6. मिश्रीमल पुत्र कालूराम के कायम मुकाम
   6/1 सरस्वतीदेवी पत्नी मिश्रीमल
   6/2 खेताराम पुत्र मिश्रीमल
   6/3 जोगाराम पुत्र मिश्रीमल
   जाति खत्री निवासी नौखडा जिला बाड़मेर
   6/4 इन्दुबाला पत्नी नन्दकिशोर पुत्री मिश्रीमल निवासी डीसा
7. रायचन्द पुत्र कालूराम
8. रघुनाथ पुत्र कालूराम जाति खत्री निवासी नौखडा जिला बाड़मेर
9. बाड़मेर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा नौखडा
10. तहसीलदार गुड़ामालानी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री रामजीवन बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण
2. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 30/06/23

वादीगण ने न्यायालय में वर्तमान वाद अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी नरसींगजी के वंशज हैं स्वर्गीय नरसींगजी का वंशवृक्ष निम्न प्रकार से है :–

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

Scanned with CamScanner

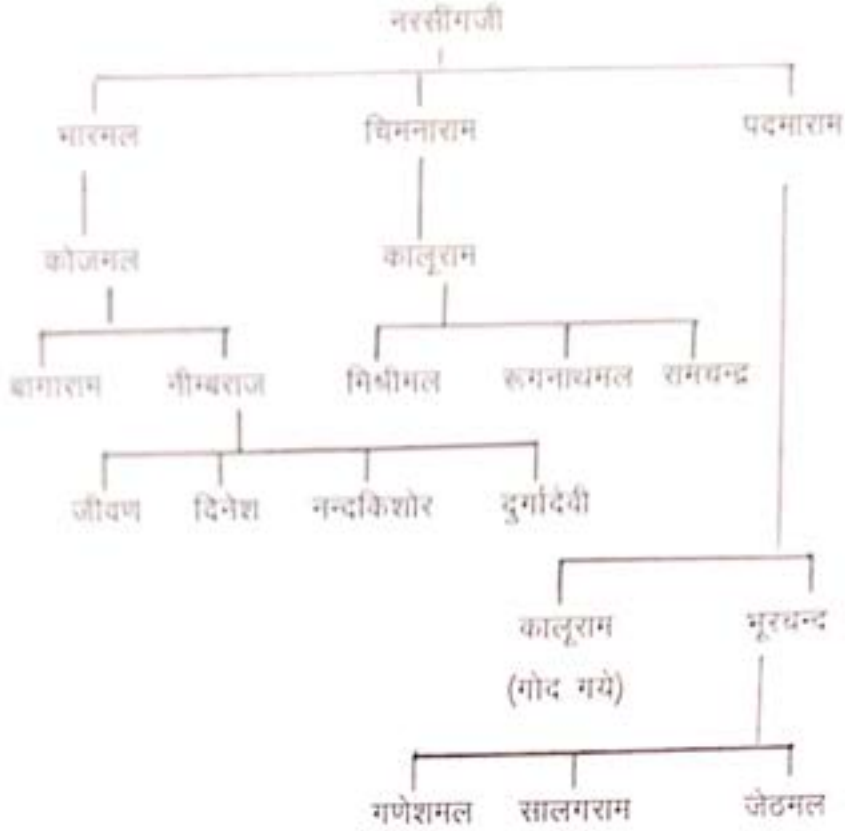

नरसीगजी के तीन पुत्र चिमनाराम, पदमाराम एवं भारमल थे. चिमनाराम के कोई जायंदा पुत्र नहीं था, पदमाराम के दो पुत्र कालूराम एवं भूरचन्द थे जिसमें से कालूराम को चिमनाराम ने गोद ले लिया था।

वक्त सेटलेन्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज नरसीगजी के जीवनकाल में पैतृक सम्पति की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त भूमि मौजः नौखड़ा में खेत खसरा नम्बर 354, 493, 543, 625, 468, 542, 678 रकबा क्रमशः 170-06, 85-02, 64-17, 42-16, 140-04, 35-08, 57-00 बीघा कुल रकबा 594-13 बीघा की आई हुई थी।

वक्त सैटलमेन्ट उपरोक्त खेत नरसीगजी के तीनों पुत्रान एवं उनके समस्त वारिसान के संयुक्त नाम से दर्ज नहीं हुए अपितु खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 170-06 बीघा भारमल वल्द नरसीग 1/2 हिस्सा, कालूराम वल्द चिमनाराम 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 493, 543, 623 रकबा क्रमशः 85-02, 64-17, 42-16 बीघा कालू वल्द चिमना के नाम दर्ज किया गया तथा खसरा नम्बर 468, 542, 618 रकबा क्रमशः 140-04, 35-08, 57-00 बीघा भारमल वल्द नरसीग के नाम दर्ज कर दिया गया।

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

वर्तमान में नये राजस्व गांव बनने, उक्त भूमि में से सड़कें निकलने एवं मौखिक बंटवाडा होने के बाद वर्तमान जमाबन्दी में उपरोक्त विवादित भूमि ग्राम नौखडा खसरा नम्बर 354, 354/2, 354/4 रकबा कमशः 89–00, 7–12, 55–02 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम, ग्राम गुरूओं का तला खसरा नम्बर 542 रकबा 35–05, खसरा नम्बर 618 रकबा 57–00 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम, गुरूओं का तला खसरा नम्बर 543 रकबा 64–17 बीघा, खसरा नम्बर 623 रकबा 42–16 बीघा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के नाम, ग्राम जगराम की ढाणी खसरा नम्बर 468 रकबा 134–14 बीघा, 468/2 रकबा 00–05 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम तथा ग्राम जगराम की ढाणी खसरा नम्बर 493 रकबा 85–02 बीघा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त खेतों में पदमाराम पुत्र नरसींग का 1/3 हिस्सा था पदमाराम के दो पुत्र कालूराम एवं भूरचन्द थे जिसमें से कालूराम जो चिमनाराम के गोद चले गये इसलिये भूरचन्द के वारिसान वादीगण का वादग्रस्त खेतों में 1/3 हिस्सा है, इसी अनुसार वादीगण काविज हैं एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। नरसींगजी के तीनों ही पुत्रान का उपरोक्त विवादित आराजी में समान हक हिस्सा था जिसमें भारमल का 1/3 हिस्सा, पदमाराम का 1/3 हिस्सा एवं चिमनाराम का 1/3 हिस्सा ही था।

वक्त सेटलमेंन्ट नरसींगजी के परिवार वालों में कालूराम एवं भारमल मुख्या थे तथा उन्होंने सेटलमेंन्ट अधिकारियों से मिलकर ततसमय उपरोक्त विवादित भूमि अपने नाम करवा ली। जबकि पदमाराम का भी उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा था। जिसकी जानकारी ततसमय पदमाराम, भूरचन्द को नहीं हो सकी तथा यही सोचते रहे कि उक्त खेतों में उनका भी समान हक हिस्सा 1/3 है। पदमाराम एवं भूरचन्द की मृत्यु के बाद वादीगण भी यही सोचते रहे कि उनका भी नाम उपरोक्त विवादित खेतों में दर्ज है। अर्सा 6 माह पूर्व सर्वप्रथम वादीगण को हल्का पटवारी से यह ज्ञात हुआ कि उक्त खेतों में वक्त सेटलमेंन्ट भारमल एवं कालू का नाम ही दर्ज हुआ है जिस पर नकलें आदि प्राप्त करने पर उक्त मिलीभगत का पता चला। जिसके लिये पंच पंचायती करवाई गई, पहले तो प्रतिवादीगण वादीगण का नाम उक्त आराजी में दर्ज करवाने के लिये सहमत हुए परन्तु अब भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से मुकर गये इसलिये वादीगण को उपरोक्त पैतृक आराजी में अपने 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषण करवाने एवं प्रतिवादीगण से बंटवाडा करवाने तथा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने का वाद प्रस्तुत किया है।

Scanned with CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। वाद तामीली प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद पत्र का मय विशेष आपत्ति जवाद पेशकर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंअ में काश्तअनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के दादा पदमाराम का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा तथा न ही काश्त थी। वादीगण के दादा व उसका परिवार सेटलमेंट से पूर्व ही बाड़मेर शहर में ही निवास कर रहा है तथा वर्तमान में भी शहर में निवासरत है। वादग्रस्तआराजी में वक्त सेटलमेंट काबिज थे उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है यह जानकारी वादीगण को जन्म से ही है। वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की कोई पंचायती नहीं हुई है। विशेष आपत्ति में कथन किया है कि नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसींगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नौखडा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उसका परिवार भी बाड़मेर में रहता है। उक्त वाद सेटलमेंट से करीबन 60–62 वर्ष वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे तथा यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में कब्जा–काश्त नहीं तथा अपने दावे में कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ नहीं मांगी गई है इसलिये बिना कब्जा प्राप्ति खातेदारी घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता तथा बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये बंटवाडा की इश्तदुआ नहीं मांगी जा सकती ऐसी स्थिति में यह वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय में वादपत्र, जबावदावा, दस्तावेजात प्रस्तुत होने पर निम्न विवाद्यक कायम किये गये :–

1. आया वादी ग्राम नौखड़ा के खसरा नम्बर 354 रकबा 89 बीघा, खसरा नम्बर 354/2 रकबा 7–12, खसरा नम्बर 354/4 रकबा 55–02 बीघा, ग्राम गुरूओं का कुंआ के खसरा नम्बर 542 रकबा 35–08 बीघा, खसरा नम्बर 618 रकबा 57 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकबा 64–17 बीघा, खसरा नम्बर 623 रकबा 42–16 बीघा तथा ग्राम जगराम की ढाणी के खसरा नम्बर 468 रकबा 134–14 बीघा, खसरा नम्बर 468/2 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 493 रकबा 85–02 बीघा की भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ?

(जिम्मे वादीगण)

सहायक कलेक्टर, बाड़मेर (राज.)

Scanned with CamScanner

2. आया वादीगण वाद उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषणा अन्य प्रतिवादीगण से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं ?

(जिम्मे वादीगण)

3. आया वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वाद घोषणा व बंटवाडा विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हैं?

(जिम्मे वादीगण)

4. आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट में काश्त अनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के दादा पदमाराम का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा, नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसींगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नौखड़ा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उनका परिवार भी बाड़मेर में रहता है इस प्रकार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कभी हक अधिकार नहीं रहा जिससे वादीगण उक्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है ?

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

5. आया प्रतिवादीगण उक्त वाद सेटलमेंट से करीबन 60–62 वर्ष बाद में पेश किया गया है इसलिये चलने योग्य नहीं हैं?

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

6. आया प्रतिवादीगण वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कब्जा–काश्त नहीं है तथा अने दावे में कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ नहीं मांगी गई है इसलिये बिना कब्जा प्राप्ति खातेदारी घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में वाद वादीगण खारिज योग्य है?

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

7- अन्य सहायता...

दौनों पक्षों की ओर से उपरोक्त तनकीयात को साबित करने हेतु मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्य समाप्त कर प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई, बहस में वादीगण के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादपत्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होने का कथन कर माफिक इश्तदुआ वाद डिक्री करने का निवेदन किया, इसके विपरीत वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को तथा अपनी ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से वादपत्र वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को परेशान करने व खर्चे से जेरबान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया होने से मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर बाड़मेर

Scanned with CamScanner

तनकी नम्बर 01 :– आया वादी ग्राम नौखड़ा के खसरा नम्बर 354 रकबा 89 बीघा, खसरा नम्बर 354/2 रकबा 7–12, खसरा नम्बर 354/4 रकबा 55–02 बीघा, ग्राम गुरूओं का कुंआ के खसरा नम्बर 542 रकबा 35–08 बीघा, खसरा नम्बर 618 रकबा 57 बीघा, खसरा नम्बर 543 रकबा 64–17 बीघा, खसरा नम्बर 623 रकबा 42–16 बीघा तथा ग्राम जगराम की ढाणी के खसरा नम्बर 468 रकबा 134–14 बीघा, खसरा नम्बर 468/2 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 493 रकबा 85–02 बीघा की भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ?

इस तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, वादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु पी.डब्ल्यु 01 गणेशमल, पी.डब्ल्यु 02 रामलाल, पी. डब्ल्यु 3 जगदीश, पी.डब्ल्यु 4 गेनाराम की मौखिक साक्ष्य पेश की तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श 01 जमाबन्दी खतौनी ग्राम गुरूओं का तला खसरा नम्बर 542, 618, 543, 623, प्रदर्श 2 जमाबन्दी खतौनी ग्राम जगराम की ढाणी खसरा नम्बर 468, 468/2, 493, प्रदर्श 3 जमाबन्दी खतौनी खसरा नम्बर 354, 354/2, 354/4, प्रदर्श 4 से 8 पर्चा खतौनी सैटलमेंन्ट व पर्चा नजवीज लगान की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। वादीगण को उक्त तनकी में ये साबित करना था कि वादग्रस्त भूमियों में वादीगण 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं, इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यु 1 गणेशमल ने साक्ष्य शपथ पत्र में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त विवादित आराजी सैटलमेंन्ट के पूर्व से ही पूर्व पुरूष नरसींगजी के कब्जा काश्त की थी तथा नरसींगजी के तीन पुत्र भारमल चिमनाराम व पदमाराम थे। पदमाराम पुत्र नरसींग का 1/3 हिस्सा था पदमाराम के दो पुत्र कालूराम एवं भूरचन्द थे जिसमें से कालूराम जो चिमनाराम के गोद चले गये इसलिये भूरचन्द के वारिसान वादीगण का वादग्रस्त खेतों में 1/3 हिस्सा है, इसी अनुसार वादीगण काबिज हैं एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। नरसींगजी के तीनों ही पुत्रान का उपरोक्त विवादित आराजी में समान हक हिस्सा था जिसमें भारमल का 1/3 हिस्सा, पदमाराम का 1/3 हिस्सा एवं चिमनाराम का 1/3 हिस्सा था। इसलिये वादीगण का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है जिसे वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जावे। जिरह में कथन किया है कि ये बात सही है कि मेरा निवास बाडमेर में है, ये बात सही है कि मेरा धन्धा कलर का है, दुकान घर की है, दुकान खत्रियों का निचलावास बाड़मेर में है, सालगाराम मेरा सगा भाई है, सालगाराम के चार लडके हैं, एक डॉक्टर है, अहमदावाद में रहता है, मेरा एक भाई जेठमल है जो बालोतरा में रहता है, बाड़मेर में एक छोटा सा प्लाट है, बाजरी हमारे खेतों से नौखडा से आती है, खसरा नम्बर 468 वर्तमान में नौखडा

Scanned with CamScanner

में आया हुआ है, खसरा नम्बर 623 भी वर्तमान में ग्राम नौखडा में आया हुआ है, खसरा नम्बर 542 वर्तमान में किस ग्राम में आया है मुझे मालूम नहीं है, खसरा नम्बर 468 का रकबा मुझे याद नहीं है, खसरा नम्बर 468 में से रोड निकलती है तो मुझे याद नहीं है, खसरा नम्बर 623 के उत्तर दिशा कौन लगता है मुझे याद नही है। मेरे कितने खेतों में से रोड निकलती है मुझे याद नहीं है। पंचायती कराई उसमें नौखडा का आदमी रामलाल था। मुकदमा दर्ज करवाने के कुछ समय पूर्व पंचायती करवाई थी। पंचायत में दो व्यक्ति थे, जगदीश पुत्र घमण्डीराम मेरे एकाउण्ट का काम करता है तथा दूसरों के भी एकाउण्ट का काम करता है जो मजदूरी होती है वो ले लेता है, मैंने खेती नहीं की, मेरे पिताजी भूरचन्द, कालूराम जी बैलों की जगह वो खेत जोते थे, तब बैल नहीं थे, भूरचन्द फौत हुए करीबन 30 साल हो गये हैं, भूरचन्द का अंतिम संस्कार बाड़मेर में किया था। शपथ–पत्र में मैंने जो कहा वह लिखवाया है। ये बात गलत है हमने जमीनों की कीमत बढने से ये वाद पेश किया है, नरसींगजी के पांच भाई थे।

इसी प्रकार पी.डब्ल्यू 3 जगदीश ने अपने बयानों में कथन किया है कि मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को अच्छी तरह पहचानता हूँ, विवादित आराजी ग्राम नौखडा में अवस्थित है वादीगण अपने 1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं, वादीगण का नाम उक्त आराजी में भूल से दर्ज नहीं हुआ है, पहले प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया था, पंच पंचायती करवाई गई परन्तु अब नाम दर्ज करवाने से मुकर गये व भूमि का बेचान कर वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं इसलिये वादीगण ने वाद न्यायालय में पेश किया है। जिरह में कथन किया है कि मैं गणेशमलजी के एकाउण्ट का काम देखता हूँ तथा अन्य जगह भी एकाउण्ट का काम देखता हूँ। मुझे मजदूरी 15000 रूपये मिलती है। निम्बराज के तीन लडके जीवण, दिनेश और नन्दू हैं। काफी समय से गणेशमलजी के यहां काम करता हूँ। गणेशमलजी ने कहा हमारा खेत का विवाद है इसलिये मैं बयान देने आया हूँ। गणेशमलजी मेरे रिलेशन में हैं। गांव नौखडा आना जाना मेरा भी रहता है। गुड़ाओं का तला, नौखडा, जगराम की ढाणी में गणेशमल की जमीन खेत हैं। खसरा नम्बर याद नहीं है। खेत के पाडौसियों का भी मुझे पता नहीं है। वर्तमान में कौन खेत पांती पर कर रहा है मुझे पता नहीं है। जीवनराम के दो लडके हैं, नाम याद नहीं है। जीवनराम की उम्र कितनी है मुझे याद नहीं है, नीम्बराज की 3 या 4 लड़कियां है, बड़ी लड़की का नाम संतोष है। बागाराम जी के दो लडके हैं। लडकियों का पूरा याद नहीं है। खेताराम मिश्रीमल के लडके हैं जो किराने का काम करते हैं।

इस प्रकार उक्त तनकी के सम्बन्ध में जो साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी रूप से आई है उससे यह तथ्य साबित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ही

महायक कर्मचारी ...

Scanned with CamScanner

कब्जा रहा व है। इस तनकी में जो सिद्धि का भार वादीगण पर था और वादीगण को यह सावित भी करना था कि उक्त जमीन पर वादीगण के दादा या वादीगण के पिता का कभी कब्जा काश्त रहा हो तथा उक्त जमीन वादीगण की पैतृक भूमि हो। इसके अतिरिक्त भी वादग्रस्त भूमि पर कभी भी वादीगण का कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण ने वादपत्र में जो अभिवचन प्रस्तुत किया है उसे सावित करने के लिये वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है अलावा इसके वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू 3 जगदीश ने जिरह में कथन किया है कि विवादित भूमि के खसरा नम्बर याद नहीं है, खेत के पाडौसीयों का भी मुझे पता नहीं है, वर्तमान में कौन खेत पांती पर कर रहा है मुझे पता नहीं है, इसी प्रकार वादी गणेशमल ने भी अपनी जिरह में यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 542 वर्तमान में किस ग्राम में आया है मुझे याद याद नहीं है, रकबा याद नहीं है, खसरा नम्बर 468 में से रोड निकलती है तो मुझे याद नहीं है, खसरा नम्बर 623 के उत्तरदिशा कौन लगता है, याद नहीं है, मेरे कितने खेतों में से रोड़ निकलती है मुझे याद नहीं है। इस प्रकार वादीगण ये सावित करने में असफल रहे है कि वादग्रस्त भूमियों पर कभी वादीगण का कब्जा काश्त रहा हो एवं वादीगण ने कभी उक्त विवादित खेतों को भौतिक रूप से देखकर कोई जानकारी ली हो। वल्कि यह तथ्य सावित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण का है और उनके द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। वादीगण के साक्ष्यगण के द्वारा अपनी जिरह में जो विरोधाभाषी कथन किये हैं उससे यह सावित होता है कि उन्हें वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई जानकारी तक नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–8 द्वारा भी उक्त विवादित आराजी की खातेदारी व कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का ही होने की पुष्टि होती है।

पी.डब्ल्यू 2 व 4 जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नम्बर 01 वादीगण अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहने से तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 02 :–</u> आया वादीगण वाद उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषणा अन्य प्रतिवादीगण से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं?

इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी में वादीगण को सावित ये करना था कि क्या वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में वाद 1/3 हिस्से खातेदारी घोषणा प्रतिवादीगण से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाने के अधिकारी हैं? चूंकि तनकी संख्या 1 को जो वादीगण को उक्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने से सम्बन्धित थी, जिसे

Scanned with CamScanner

वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं, तनकी संख्या 1 का निर्णय विरूद्ध वादीगण होने से वादीगण उक्त विवादित आराजी में बंटवाडा का अनुतोष स्वतः ही गौण है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 :– आया वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में बाद घोषणा व बंटवाडा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हैं?
इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी में वादीगण को साबित ये करना था कि क्या वादीगण उक्त वादग्रस्त खसरा की भूमि में बाद घोषणा व बंटवाडा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हैं? चूंकि तनकी संख्या 1 वादीगण को उक्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने से सम्बन्धित थी, जिसे वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं, तथा तनकी संख्या 2 बाद घोषण बाई मिट्स बंटवाडा से सम्बन्धित थी, जिसे वादग्रस्त आराजी में वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने में असफल विरूद्ध वादीगण निर्णित की गई है। तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्ध वादीगण निर्णित हुई हैं ऐसी स्थिति में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुतोष स्वतः ही गौण है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 :– आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट में काश्त अनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के दादा पदमाराम का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा, नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसींगजी के दो पुत्रों भारमलराम व धिमनाराम ने नौखड़ा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उनका परिवार भी बाड़मेर में रहता है इस प्रकार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कभी हक अधिकार नहीं रहा जिससे वादीगण उक्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं हैं?
इस तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु डी.डब्ल्यु 01 बागाराम, डी.डब्ल्यु 02 मोहनचन्द, डी.डब्ल्यु 3 दूदाराम, डी.डब्ल्यु 4 मूलाराम, डी.डब्ल्यु 5 खेताराम की मौखिक साक्ष्य पेश की तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में EXD-01 से EXD-17 खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। प्रतिवादीगण को उक्त तनकी में ये साबित करना था कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट में काश्त अनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के दादा पदमाराम का

Scanned with CamScanner

कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा, नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसींगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नौखडा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उनका परिवार भी बाड़मेर में रहता है इस प्रकार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कभी हक अधिकार नहीं रहा जिससे वादीगण उक्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है, इस सम्बन्ध में मौखिक साक्षी डी.डब्ल्यु 01 बागाराम ने अपने बयानों में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी नरसींगजी के समय की नहीं थी, वादग्रस्त आराजी चिमनाराम व भारमलराम के समय की ही है, वक्त सेटलमेंट काश्त अनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के दादा पदमाराम का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा तथा न ही काश्त की, वादीगण के दादा व उसका परिवार सेटलमेंट से पूर्व ही बाडमेर शहर में ही निवास कर रहा है तथा वर्तमान में भी शहर में ही निवासरत है। कालूराम अपने परिवार का मुखिया व भारमलराम अपने परिवार के मुखिया थे एवं अलग–अलग रहते थे, एक खसरे में काश्त दौनों सामलाती करते थे एवं बाकि खसरों की भूमि अलग–अलग थी। वादीगण का परिवार बाड़मेर शहर में ही रहता था वादग्रस्त आराजी में सेटलमेंट से पूर्व, वक्त सैटलेमेंट व सैंटलमेंट के बाद कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही कोई हक अधिकार रहा है, अब हम प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से यह दावा किया है। नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसीगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नौखडा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उसका परिवार बाड़मेर में ही रहता है। जिरह में कथन किया है कि नरसिंगजी मेरे पडदाता थे, नरसिंगजी के तीन पुत्र चिमनाराम, पदमाराम, भारमल थे। मेरे पडदाता नरसिंगजी कब फौत हुए मुझे याद नहीं। यह कहना गलत है कि पदमाजी के दो लडके थे। कालूराम चिमनाराम का बेटा है। भारमल का एक पुत्र कौजमल थे। नरसिंगजी खेती करते थे, मुझे याद नहीं । नरसिंग के पुत्र भारमल खेती करते थे। बाकी दो पुत्र क्या करते थे मुझे याद नहीं। सैटलमेंट से पहले फौत हो गये, मेरा जन्म सैटलमेंट के बाद का है, सैटलमेंट की कार्यवाही मुझे मालुम नहीं। सैटलमेंट से पहले कौन कितने बीघों पर काबिज था मुझे याद नहीं। पदमाजी नरसिंगजी के पुत्र थे। सैटलमेंन्ट के समय कालूराम व भारमल परिवार के मुखिया थे बाकी चिमनाराम व पदमाराम फौत हो गये थे। जमीन पैमाईस दौनों काका–भतीज कालूराम व भारमल ने करवाई थी। ये कहना गलत है कि चिमनाराम व पदमाराम के वारिसान परिवार के मुखियों के विश्वास में हों। सैटलमेंट से पहले खातेदार

Scanned with CamScanner

बीगोडी जागीरदारों को देते होंगे मुझे मालुम नहीं। शहर में रहने के बावजूद भी खातेदार खेत कहीं भी ले सकता है। गणेशमल, सालगराम, जेठमल भूरचन्द के पुत्र हैं। ये कहना सही है कि ग्राम गुरूओं का तला व नौखडा के खेतों की बाढ की हुई है। खसरा नम्बर 354 का रकबा 151 बीघा है। 18 बीघा जमीन सड़कों में चली गई है। ये खसरा उत्तर में 45 सांकल लम्बा है। नरसिंग के चार भाई कहां रहते थे मुझे याद नहीं। मैंने शपथ–पत्र के बिन्दु संख्या 5 में मार्क ए से बी स्थान पर 'नरसिंगजी के चार भाई आरंग में रहते थे' लिखवाया है। ये कहना गलत है कि हमने जमीनों की कीमत बढने से वादगण को जमीन देने से इन्कार कर रहे हैं इसलिये झूंठा शपथ पत्र पेश किया हो। यह कहना सही है कि एक हिन्दू के समस्त पुत्रों का हक हिस्सा बराबर होता है।

साक्षी डी.डब्ल्यु 02 मोहनचन्द ने अपने बयानों में कथन किया है कि मैं प्रतिवादीगण को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैंने वादीगण को कभी नहीं देखा औरा ना ही वादीगण की नौखडा में जमीन है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की आवगी है तथा वादग्रस्त आराजी पर सैटलमेंट से ही भारमलराम व कालूराम स्वयं व उनका परिवार काश्त करता आ रहा है, वादग्रस्त आराजी पर मैं जन्म से ही प्रतिवादी की ही काश्त देख रहा हूँ, विवादित भूमि हमारे सेढे पर है, मैंने कई बार कृषि कार्य हेतु मजदूरी भी की है, मेरी जानकारी में पूरी जमीन प्रतिवादीगण की है। जिरह में कथन किया है कि मैं 10 साल का था तबसे खेतों के बारे में जानकारी रखता हूँ, सैटलमेंट के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, सैटलमेंट कर्मचारियों ने वास्तविक प्रकिया अपनाई या नहीं अपनाई मुझे जानकारी नहीं है, मैं सोनी हूँ, मेरा घर इनके पास है, आज मुझे बागजी बयान देने के लिये लाये हैं, यह कहना गलत है कि वागजी ने मेरे पक्ष में बयान देने का कहा हो। सेढा पाडौसी होने से मैं जानकारी रखता हूँ। नरसिंगजी के कितने पुत्र थे मुझे जानकारी नहीं है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इनका जमीन को लेकर कोई विवाद है, नरसिंगजी के तीन पुत्रों का समान रूप से बंटवाडा नहीं हुआ इसलिये ये वादचल रहा है तो मुझे मालूम नहीं है। खत्री जाति के लोग खुद खेत काश्त नहीं करते हैं मजदूरों को काश्त पर देते हैं खुद काश्त नहीं करते हैं, मैं काश्त करता हूँ। हमने बोला और शपथ पत्र वकील साहब ने लिखा।

साक्षी डी.डब्ल्यु 03 दूदाराम ने अपने बयानों में कथन किया है कि मैं प्रतिवादीगण को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैंने वादीगण को कभी नहीं देखा औरा ना ही वादीगण की नौखडा में जमीन है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की आवगी है तथा वादग्रस्त आराजी पर सैटलमेंट से ही भारमलराम व कालूराम स्वयं व उनका परिवार काश्त करता आ रहा है, वादग्रस्त आराजी पर मैं जन्म से ही प्रतिवादी की ही काश्त देख रहा हूँ, विवादित भूमि हमारे सेढे पर है, मैंने कई बार कृषि

Scanned with CamScanner

कार्य हेतु मजदूरी भी की है, मेरी जानकारी में पूरी जमीन प्रतिवादीगण की है। जिरह में कथन किया है कि मैं मेरे परिवार सहित सालगासर में रहता हूं, सालगासर व गुरूओं का तला की दूरी ढेड किलोमीटर है, मैं 50 साल का हूं, मुझे तीस साल पहले की बातें याद है, उससे पहले का याद नहीं, सुनी सुनाई कह सकता हूं, नरसिंगजी कौन थे मुझे पता नहीं, भारमलजी कौजमल के पिता थे। चिमनाराम जी कालूराम के पिता थे। मोटे काम से हमें बुलाते हैं छोटे मोटे काम में नहीं बुलाते, पदमाराम के परिवार को जानता हूं, इनके तीन–चार खेत हैं, इनके खेत में 17 साल पहले मैंने काश्त की थी, खेत पौन किलोमीटर होगा, खत्रीयों की पंचायती में मैं नहीं गया।

साक्षी डी.डब्ल्यु 04 मूलाराम ने अपने बयानों में कथन किया है कि मैं प्रतिवादीगण को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैंने वादीगण को कभी नहीं देखा औरा ना ही वादीगण की नौखडा में जमीन है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की आवगी है तथा वादग्रस्त आराजी पर सैटलमेंट से ही भारमलराम व कालूराम स्वयं व उनका परिवार काश्त करता आ रहा है, वादग्रस्त आराजी पर मैं जन्म से ही प्रतिवादी की ही काश्त देख रहा हूँ, विवादित भूमि हमारे सेढे पर है, मैंने कई बार कृषि कार्य हेतु मजदूरी भी की है, मेरी जानकारी में पूरी जमीन प्रतिवादीगण की है। जिरह में कथन किया है कि मेरी उम्र 50 साल है, ये बात मुझे याद नहीं है कि मैं 15 साल का कब्बडी खेलता था। जन्म दिनांक याद नहीं, मेरा खेत का खसरा नम्बर 620 है, 619 खसरा नम्बर किसका है मुझे याद नहीं। खत्रियों की जमीन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वागजी के साथ आया हूँ, खत्रियों के बादग्रस्त खेत का बंटवाडा सही हो रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, इन खत्रियों के नरसिंगजी के परिवार में दावा चल रहा है, ये दावा किस बात का है मुझे पता नहीं।

साक्षी डी.डब्ल्यु 05 खेताराम ने अपने बयानों में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी नरसींगजी के समय की नहीं थी, वादग्रस्त आराजी चिमनाराम व भारमलराम के समय की ही है, वक्त सेटलमेंट काश्त अनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के दादा पदमाराम का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा तथा न ही काश्त की, वादीगण के दादा व उसका परिवार सेटलमेंट से पूर्व ही बाडमेर शहर में ही निवास कर रहा है तथा वर्तमान में भी शहर में ही निवासरत है। कालूराम अपने परिवार का मुखिया व भारमलराम अपने परिवार के मुखिया थे एवं अलग–अलग रहते थे, एक खसरे में काश्त दौनों सामलाती करते थे एवं बाकि खसरों की भूमि अलग–अलग थी। वादीगण का परिवार बाड़मेर शहर में ही रहता था वादग्रस्त आराजी में सेटलमेंट से पूर्व, वक्त सैटलेमेंट व सैंटलमेंट के बाद कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है

Scanned with CamScanner

तथा न ही कोई हक अधिकार रहा है, अब हम प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से यह दावा किया है। नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसीगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नौखडा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उसका परिवार बाड़मेर में ही रहता है। जिरह में कथन किया है मैं 52 साल का हूँ, प्रतिवादी जीवण मेरे दादाजी के भाई के पोते हैं, ये कहना सही है कि प्रतिवादीगण के मधुर सम्बन्ध हैं, ये कहना सही है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच लडाई है, एक–दूसरे के घर आते–जाते नहीं है। इसका मुख्य कारण इस जमीन का विवाद है। मेरी नौखडा में दुकान है। मेरा पूरा परिवार नौखडा गांव में रहता है। नरसींगजी की जमीन के कितने खसरे हैं मुझे याद नहीं, अजखुद कहा खसरे याद हैं पर ये याद नहीं कि खसरे नरसींगजी के हैं या इनके हैं। प्रश्न– वक्त जागीरकाल खातेदार के परिवार काश्त करता था वाद रिज्यूम जागीरकाल के वाद उनके वारिसान को समान रूप से हक मिलना चाहिये ? उत्तर– भारमल व कालूराम यहां रहते थे वहीं खडते थे और मालिकाना हक उनका था, हम उनके वारिसान हैं इसलिये हमें हक मिला है। मैं व मेरा परिवार में चाचा जो डीसा में रहते हैं मेरा परिवार नौखडा रहता है। मेरे चाचाजी का इस जमीन में हक है मेरे दादाजी के फौत होने पर चाचाजी का नाम जमीन में आया है। चाचाजी काश्त नहीं करते हैं। सैटलमेंट की प्रकिया की जानकारी मुझे नहीं है। मेरे परिवार व वादीगण के परिवार के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई। नरसींगजी के तीन पुत्रों की जमीन कम ज्यादा है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे पिताजी को इसकी जानकारी थी, कालूराम चिमनाजी के बेटे थे, गोदपुत्र नहीं थे, पदमाराम नरसिंह के पुत्र थे ये मैंने सुना है। मैं हिन्दू हूँ, ये कहना सहीं कि पिता की जमीन में पुत्रों को बराबर–बराबर हक मिलता है, ये कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन को लेकर कोई पंचायती करवाई हो। ये कहना सही है कि भारमल पंच पंचायती में जाते थे, चलते व्यक्ति थे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इनका परिवार इनकी बात मानते हों। शपथ पत्र मेरा कलमी नहीं है, वकील साब के कलमी है, मेरे दस्खत करवाकर कोर्ट में पेश किया है। ये कहना गलत है कि सैटलमेंट अधिकारियों ने नरसिंगजी के तीनों पुत्रों को बराबर सैटलमेंट करके पर्चा लगान करना था लेकिन इस बात पर गौर किये बिना बराबर पर्चा लगान जारी नहीं कर कम ज्यादा कर दी हो, और मैं झूंठे बयान देने आया हूँ, मैं सच्चे बयान देने आया हूँ।

इस प्रकार उक्त तनकी के सम्बन्ध में जो साक्ष्य मौखिक व दस्तावेजी रूप से आई है उससे यह तथ्य सावित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ही कब्जा रहा व है। इस तनकी में जो सिद्धि का भार प्रतिवादीगण पर था और

Scanned with CamScanner

वादीगण को यह साबित भी करना था कि उक्त जमीन वक्त सेटलमेंट में काश्त अनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है वादीगण के दादा पदमाराम का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा, नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसींगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नौखड़ा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उनका परिवार भी बाड़मेर में रहता है इस प्रकार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कभी हक अधिकार नहीं रहा जिससे वादीगण उक्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य EXD-01 से EXD-17 खसरा गिरदावरी के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त रहे हैं, किसी भी वर्ष वादीगण उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं पाया गया है, मौखिक साक्ष्य में गवाहान के बयानों से भी उक्त विवादित आराजी की खातेदारी व कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का ही होने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण की ही खातेदारी दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो चुका है कि वादीगण के दादा पदमाराम का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा, नरसींगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे उसके बाद में नरसींगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नौखड़ा आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम ने शुरू से ही बाड़मेर शहर में ही रहना शुरू किया उनका परिवार भी बाड़मेर में रहता है इस प्रकार वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कभी हक अधिकार नहीं रहा जिससे वादीगण उक्त आराजी में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है, वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट में काश्त अनुसार ही भारमलराम व कालूराम के नाम से दर्ज हुई है, अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 5 :–</u> आया प्रतिवादीगण उक्त वाद सेटलमेंट से करीबन 60–62 वर्ष वाद में पेश किया गया है इसलिये चलने योग्य नहीं हैं?

इस तनकी में प्रतिवादीगण को ये साबित करना है कि वादीगण द्वारा सैटलमेंट के करीबन 60–62 साल वाद यह वाद पेश किया है इसलिये चलने योग्य नहीं है। चूंकि तनकी नम्बर 4 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जा चुका है। जब वादीगण वादग्रस्त भूमि के मालिक खातेदार घोषित नहीं हुए हैं तो वाद वादीगण स्वतः ही चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर बाड़मेर

Scanned with CamScanner

तनकी नम्बर 6 :– आया प्रतिवादीगण वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कब्जा–काश्त नहीं है तथा अपने दावे में कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ नहीं मांगी गई है इसलिये बिना कब्जा प्राप्ति खातेदारी घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में वाद वादीगण खारिज योग्य हैं?

इस तनकी में प्रतिवादीगण को ये साबित करना है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में कब्जा–काश्त नहीं है तथा अपने दावे में कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ नहीं मांगी गई है इसलिये बिना कब्जा प्राप्ति खातेदारी घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में वाद वादीगण खारिज योग्य है। चूंकि तनकी नम्बर 4 व 5 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जा चुका है। जब वादीगण वादग्रस्त भूमि के मालिक खातेदार घोषित नहीं हुए हैं तो वाद वादीगण स्वतः ही चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 7 :– अन्य सहायता

चूंकि वादीगण के जिम्मे रखी गई तनकी नम्बर 1, 2, 3, को वादीगण अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार साबित करने में असफल रहे हैं तथा जिससे वादीगण कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं। तथा तनकी नम्बर 4, 5, 6 को प्रतिवादी मौखिक एवं दस्तावेजी तथा विधिक दृष्टि से साबित करने में सफल रहे हैं परिणामतः वादीगण कोई अनुतोष अदालत हाजा से पाने के अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादपत्र वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिकरी पर्चा इसी अनुसार तैयार हो। खर्चा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते हुए पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/06/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुंडामालानी

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी

व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण

1. गणेशमल पुत्र भूरचन्द
2. सालगराम पुत्र भूरचन्द के कायम मुकाम
   2/1 रमेश कुमार पुत्र सागराम
   2/2 अशोक कुमार पुत्र सालगराम
   2/3 सतीश कुमार पुत्र सालगराम
   2/4 महेन्द्र कुमार पुत्र सालगराम
3. जेठमल पुत्र भूरचन्द
   जाति खत्री निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जीवण पुत्र नीम्बराज
2. दिनेश पुत्र नीम्बराज
3. नंदकिशोर पुत्र नीम्बराज
4. दुर्गादेवी पत्नी नीम्बराज
5. बागाराम पुत्र कोजमल
6. मिश्रीमल पुत्र कालूराम के कायम मुकाम
   6/1 सरस्वतीदेवी पत्नी मिश्रीमल
   6/2 खेताराम पुत्र मिश्रीमल
   6/3 जोगाराम पुत्र मिश्रीमल
   जाति खत्री निवासी नौखडा जिला बाड़मेर
   6/4 इन्दुबाला पत्नी नन्दकिशोर पुत्री मिश्रीमल निवासी डीसा
7. रायचन्द पुत्र कालूराम
8. रघुनाथ पुत्र कालूराम जाति खत्री निवासी नौखडा जिला बाड़मेर
9. बाड़मेर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा नौखडा
10. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या : 75/2014 निर्णय दिनांक : 30/06/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता वादीनीगण व हाजरी श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण के जिम्मे रखी गई तनकी नम्बर 1, 2, 3, को वादीगण अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार साबित करने में असफल रहे हैं तथा जिससे वादीगण कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं। तथा तनकी नम्बर 4, 5, 6 को प्रतिवादी मौखिक एवं दस्तावेजी तथा विधिक दृष्टि से साबित करने में सफल रहे हैं परिणामतः वादीगण कोई अनुतोष अदालत हाजा से पाने के अधिकारी नहीं होने से वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बरावद मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/06/23 को जारी की गई।

मुहर

(रामजी भाई कलवी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

Scanned with CamScanner